

## अंधता नियंत्रण के लिये पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान

### चर्चा में क्यों?

13 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में नसिगी राजस्थान की परकिलपना को साकार करने की दशा में एक अभनिव पहल करते हुए देश में पहली बार 'राइट टू साइट वजिन' के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है।

### प्रमुख बडि

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंधता नविवरण के लिये पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। राज्य में तीन लाख से अधिक दृष्टिबाधिता से पीड़ित लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को लाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि देश में वर्ष 2020 में अंधता प्रसार दर 1 प्रतिशत थी, जिसे 'राइट टू साइट वजिन' पॉलिसी के द्वारा 0.3 प्रतिशत तक लाने की दशा में कार्य किया जाएगा।
- राज्य सरकार की अंधता नियंत्रण पॉलिसी के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनविवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालित किये जाएंगे। इस पॉलिसी के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले नजिी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कॉर्नधिया को प्राथमकता से सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रदेश के जिलों में इस कषेत्तर में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्ट, अस्पतालों एवं अन्य चैरिटेबल संस्थाओं के साथ मलिकर प्रयास किये जाएंगे।
- राज्य सरकार द्वारा नजिी संस्थाओं को साथ लेकर व्यापक स्तर पर नेत्रदान के लिये मुहीम चलाई जाएगी। नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र सर्जन, सनातकोत्तर के वदियार्थी, नेत्रदान के लिये कार्यरत काउंसलर्स एवं नेत्र सहायक आदिको विशेष प्रशिक्षण दया जाएगा।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचवि डॉ. पृथ्वी ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत अंधता नियंत्रण संबंधी जन-जागरुकता और वभिनिन तकनीकी सुधार गतविधियिँ आयोजति की जाएंगी।